



No.A.12034/11/2021-E-III

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated: 03rd April, 2023

To

The Editor (Advertisement),
Employment News,

Room No.765, 7th Floor, Sookhna Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110003

Subject: Re-advertisement of vacancy circular for filling up the 05 (five) Statutory posts of Brahmaputra Board, Guwahati.

Sir,

I am directed to enclose a copy of vacancy circular (English and Hindi version) for receiving applications for following 05 Statutory posts of Brahmaputra Board, Guwahati, a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of this Department, on deputation (including short-term contract) basis:-

S.No.	Name of Post	Pay Scale	Posts
1	Financial Adviser	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
2	General Manager	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
3	Chief Engineer (Level-I)	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
4	Chief Engineer (Level-II)	L-13A (Rs.131100-216600)	1
5	Secretary	L-13A (Rs.131100-216600)	1

2. You are requested to publish this vacancy circular in "Employment News/Rozgar Samachar" for giving it wide publicity, in the first available edition. The soft copy of the circular is also being emailed at enewsadvt@yahoo.com.

3. You are also requested that the Bill towards publication of the enclosed material may be sent to the Vice-Chairman, Brahmaputra Board, Basistha, Guwahati – 781029 under intimation to the Department. The contact details of concerned publication officer, details of officer in whose favor payment are to be made and the mode of payment

(Cheque/Demand Draft etc.) may also be intimated in the bill itself.

4. Receipt of the letter may be acknowledged.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Anil Kumar Sharma)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23716928

Copy to:-

(i) The Vice- Chairman, Brahmaputra Board, Basistha, Guwahati with the request that the bills may be paid by Brahmaputra Board after publication as per extant instructions and upload the vacancy circular on the Board's website.

(ii) Under Secretary (e-Gov.), DoWR, RD & GR (with enclosures), with the request that the vacancy circular may be uploaded on the website of this Ministry, immediately.

(iii) Technical Director, NIC with the request for uploading the enclosed advertisement on the Department's website, immediately.

(iv) Under Secretary (Adm.), Department of Personnel & Training, New Delhi with the request to publish the vacancy in their Ministry's portal.

(Anil Kumar Sharma)
Under Secretary to the Government of India



No.A.12034/11/2021-E-III

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

VACANCY CIRCULAR FOR BOARD LEVEL POSTS IN BRAHMAPUTRA BOARD

The Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) invites applications for the following positions in the Brahmaputra Board, Guwahati:

Sl. No.	Name of Post	Pay Scale	Posts
1	Financial Adviser	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
2	General Manager	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
3	Chief Engineer (Level-I)	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
4	Chief Engineer (Level-II)	L-13A (Rs.131100-216600)	1
5	Secretary	L-13A (Rs.131100-216600)	1

2. The Brahmaputra Board is a Statutory Body, under this Department. Appointment in the Brahmaputra Board on deputation basis will attract benefits ordinarily available to a Central Government Officer for posting in North Eastern States, as provided in the Ministry of Finance (Department of Expenditure)'s O.M. No. 11 (6)/2008-E.II(B), dated 02.04.2013, as amended from time to time. In respect of officers borne in the Central Water Engineering(Group-A) Service, the period of deputation in the Brahmaputra Board, shall be treated as "Field Experience".

3. Details of these posts along with its eligibility criteria for each post are given on the website of this Department, as well as on the website of the Brahmaputra Board.

4. Interested officers may apply through proper channel and completed applications in the prescribed proforma may be forwarded to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi- 110001, within 45 days from the date of publication of this advertisement.



No.A.12034/11/2021-E-III

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

ब्रह्मपुत्र बोर्ड में बोर्ड स्तर के पदों के लिए रिक्ति परिपत्र

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग) इस विभाग के आधीन ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहटी, एक सांविधिक निकाय, में तत्काल आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

क्र. सं.	पद का नाम	7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन स्तर	पद
1.	वित्तीय सलाहकार	स्तर-14 (रुपए 144200-218200/-)	1
2.	महाप्रबंधक	स्तर-14 (रुपए 144200-218200/-)	1
3.	मुख्य अभियंता(Level-I)	स्तर-14 (रुपए 144200-218200/-)	1
4.	मुख्य अभियंता (Level-II)	स्तर-13ए (रुपए 131100-216600/-)	1
5.	सचिव	स्तर-13ए (रुपए 131100-216600/-)	1

2. ब्रह्मपुत्र बोर्ड इस विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है | ब्रह्मपुत्र बोर्ड में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर केंद्र सरकार के अधिकारी को पूर्वोत्तर राज्यों में नियुक्ति के लिए सामान्यतः उपलब्ध लाभ प्राप्त होंगे, जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय ज्ञापन में प्रदान किया गया है। संख्या 11 (6)/2008-ई.एल.(बी), दिनांक 02.04.2013 में प्रदान किया गया है | इस विभाग के केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह-ए) संवर्ग में आने वाला आवेदनकर्ताओं के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अवधि को उसी सेवा में एसएजी में उनकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए "फील्ड अनुभव" माना जायेगा।

3. प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड सहित इन पदों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र बोर्ड की वेबसाइट पर भी दिया गया है।

4. इच्छुक अधिकारी उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित प्रोफार्मा में भरे हुए आवेदन "अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001" को विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के अंदर अग्रेषित कर सकते हैं।



No. A. 12034/11/2021-E-III

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of Water Resources, River Development and Ganga
Rejuvenation

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated : 03rd April, 2023

C I R C U L A R

Subject: Vacancy Circular for 05 (five) Statutory posts of Brahmaputra Board - regarding

The Ministry of Jal Shakti (Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation) invites applications for the following positions in the Brahmaputra Board, Guwahati, which is a Statutory Body, under this Department, immediately:

S.No.	Name of Post	Pay Level under 7th Pay Commission	Posts
1	Financial Adviser	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
2	General Manager	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
3	Chief Engineer (Level-I)	L-14 (Rs.144200-218200/-)	1
4	Chief Engineer (Level-II)	L-13A (Rs.131100-216600)	1
5	Secretary	L-13A (Rs.131100-216600)	1

2. Details of these posts along with its eligibility criteria for each posts are given in the Annexure-1 to 6 of this Circular.

3. Appointment on deputation basis in respect of a serving Central Government Officer will attract benefits as provided under the Department of Expenditure's O.M. No. 11(2)/97-E.II(B), dated 22.09.1998, O.M. No. 11(6)/2008-E.II(B), dated 02.04.2013 and O.M. No. 28/1/2017-E.II(B), dated 14.08.2018, as amended from time to time.

4. In respect of applicants borne in the Cadre of Central Water Engineering(Group-A) Service of this Department, the period of appointment on deputation basis in the Brahmaputra Board shall be counted as "Field Experience" for consideration of their promotion in the SAG of the same service.

5. All organizations are hereby requested to give wide publicity to this Circular among their officers and nominate eligible and willing officers for consideration of appointment in the aforementioned posts, at 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001, within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

(Anil Kumar Sharma)

Under Secretary to the Government of India

Tel: 23716928

Email: use3-mowr@gov.in

To

- 1. Joint Secretary(Admn) of all Ministries/Departments of the Government of India**
- 2. Chief Secretaries of all State Government/Union Territories**
- 3. Head of all Organizations under the administrative control of DoWR, RD & GR**

Annexure-I

Details of eligibility criteria for the post of Financial Adviser are mentioned below-

Post-1: Financial Adviser

Applications are invited for filling up of the one (01) post of Financial Adviser in the Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract) :

Officers in the Indian Audit and Accounts Service or Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service or Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:-

- (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively in the grade; or
- (iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialization in Finance with experience of at least fifteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations under Central Government or State Governments.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.

5. AGE: The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers

within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-6** should reach to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110 001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure-6**.

1.	Name of Post	:	Financial Adviser, Brahmaputra Board
2.	Number of Posts	:	01 (one)
3.	Classification	:	Group 'A', Non-Ministerial
4.	Pay Band	:	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200/-)
5.	Grade Pay	:	
6.	Period of deputation	:	The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government or State Governments shall ordinarily not exceed five years.
7.	Duties and responsibilities of the post	:	The Financial Adviser shall be under the administrative control of the Board. He shall advise the Board on all matters relating to revenue and expenditure. He shall have the right to refer to the Board any matter which in his opinion ought to be brought to its notice. He shall be responsible for the maintenance of the accounts of the Board and conduct internal audit of these accounts. He shall also exercise such powers and duties as prescribed in the

		rule 16 of the subordinate legislation under the Brahmaputra Board Act, 1980.
8.	Pay & Allowances	: The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt. (Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	: Deputation (including short-term contract) : Officers in the Indian Audit and Accounts Service or Indian Defence Accounts Service or Indian Railway Accounts Service or Indian Post and Telegraphs (Finance and Accounts Service) or Indian Civil Accounts Service:- (i) holding an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13A (Rs.1,31,100-2,16,600/-) or level-13 (Rs.1,18,500-2,14,100/-) in pay matrix or equivalent with two or three years regular service respectively in the grade; or (iii) Qualified Chartered Accountant or Cost Accountant or M.B.A. with specialisation in Finance with experience of at least fifteen years in handling Corporate accounting and Corporate finance matters in Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Statutory or Autonomous organisations under Central Government or State Governments. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.
10.	Age	The maximum age-limit for appointment by deputation or short term contract shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of receipt of applications.

-

Details of eligibility criteria for the post of General Manager are mentioned below-

Post-2: GENERAL MANAGER

Applications are invited for filling up the 01 (one) post of General Manager in the Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The General Manager, as Chief Executive Authority of the Board, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Board. He shall prescribe and assign the duties of all officers and staff of the Board who are sub-ordinate to him and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary and shall co-ordinate the activities of various units under the Board. The General Manager shall also exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman, as may be delegated to him by the Chairman and as may be determined by the regulations. The General Manager shall also exercise the powers and duties as prescribed under rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981 in matters pertaining to budget and allocation or re-appropriation of grants.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including-short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognised research institutions:

- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or
- (iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or
- (iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and
- (ii) fifteen years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. AGE: The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of

applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-6** should reach to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply "Through Proper Channel." Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure-6**.

1.	Name of Post	:	General Manager, Brahmaputra Board, a statutory body
2.	Number of Posts	:	01 (one)
3.	Classification	:	Group 'A', Non-Ministerial
4.	Pay Band	:	Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-)
5.	Grade Pay	:	Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-)
6.	Period of deputation	:	The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
7.	Duties and responsibilities of the post	:	The General Manager, as Chief Executive Authority of the Board, shall be responsible for

		<p>the proper administration of the affairs of the Board. He shall prescribe and assign the duties of all officers and staff of the Board who are subordinate to him and shall exercise such supervision and disciplinary control as may be necessary and shall co-ordinate the activities of various units under the Board. The General Manager shall also exercise and discharge such of the powers and duties of the Chairman, as may be delegated to him by the Chairman and as may be determined by the regulations. The General Manager shall also exercise the powers and duties as prescribed under rule 16 of the Brahmaputra Board Rules, 1981 in matters pertaining to budget and allocation or re-appropriation of grants.</p>
8.	Pay & Allowances	<p>: The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt. (Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).</p>
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	<p>: Deputation (including-short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organizations or autonomous bodies or universities or recognized research institutions:</p> <p>(A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or (iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and</p> <p>(B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and (ii) fifteen years' experience in the Civil Engineering works with specialization in the field</p>

		<p>of Water Resources Projects or Management and General Administration.</p> <p>Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.</p>
10.	Age	<p>The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.</p>

Details of eligibility criteria for the post of Chief Engineer-I are mentioned below-

Post-3: CHIEF ENGINEER (Level-I)

Applications are invited for filling up the 01 (one) post of Chief Engineer (Level-I) in the Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-) by deputation (including short term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Chief Engineer (Level-I) of Brahmaputra Board shall be responsible for preparation of Master plan for river basins in the NE Region; planning and design of different water resource projects; preparation of DPRs for Drainage Development Schemes as identified in the Mater Plans and Preparation of DPRs for River Valley Projects.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including-short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions:

- (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or (iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and
(B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
(i) Degree in Civil Engineering from a recognized University; and
(ii) fifteen years' experience in the Civil Engineering works with specialization in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration.

Note 1.- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or

Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. **AGE:** The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-6** should reach to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply “Through Proper Channel.” Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure-6**.

1.	Name of Post	:	Chief Engineer (Level-I), Brahmaputra Board, a statutory body
2.	Number of Posts	:	01 (one)
3.	Classification	:	Group 'A', Non-Ministerial
4.	Pay Band	:	Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-)
5.	Grade Pay	:	Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-)
6.	Period of deputation	:	The period of deputation (including short-

		term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
7.	Duties and responsibilities of the post	: The Chief Engineer (Level-I) of Brahmaputra Board shall be responsible for preparation of Master plan for river basins in the NE Region; planning and design of different water resource projects; preparation of DPRs for Drainage Development Schemes as identified in the Mater Plans and Preparation of DPRs for River Valley Projects.
8.	Pay & Allowances	: The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	: Deputation (including-short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or (iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) fifteen years experience in the Civil

		<p>Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration.</p> <p>Note 1.- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.</p>
10.	Age	<p>The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.</p>

Details of eligibility criteria for the post of Chief Engineer-II are mentioned below-

Post-4: CHIEF ENGINEER (Level-II)

Applications are invited for filling up the 01 (one) post of Chief Engineer (Level-II) in the Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Chief Engineer-II is the one of the main constituents of Brahmaputra Board, who acts as subordinate to the General Manager, the Chief Executive Authority of the Board. It is a key post responsible for implementation/ execution of all schemes/ works taken up by Brahmaputra Board through the field Circles/ Divisions. The work mainly includes execution of Drainage Development scheme, Anti-erosion schemes, Raised Platforms, Running and maintenance of assets etc. As Chief Engineer-II, he will monitor all works for timely execution without financial over run. He is authority to accord technical sanction of all works to be undertaken under him. He is also the technical head of all works undertaken.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognized research institutions:

(A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years regular service in the grade; or

(iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years regular service in the grade; and

(B) possessing the following educational qualifications and experience-

(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and

(ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration.

Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. AGE:

The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-6** should reach to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply “Through Proper Channel.”

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure-6**.

1.	Name of Post	:	Chief Engineer (Level-II), Brahmaputra Board, a statutory body
2.	Number of Posts	:	01 (one)
3.	Classification	:	Group 'A', Non-Ministerial
4.			

4.	Pay Band	:	Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-)
5.	Grade Pay	:	Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-)
6.	Period of deputation	:	The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
7.	Duties and responsibilities of the post	:	The Chief Engineer-II is the one of the main constituents of Brahmaputra Board, who acts as subordinate to the General Manager, the Chief Executive Authority of the Board. It is a key post responsible for implementation/execution of all schemes/ works taken up by Brahmaputra Board through the field Circles/ Divisions. The work mainly includes execution of Drainage Development scheme, Anti-erosion schemes, Raised Platforms, Running and maintenance of assets etc. As Chief Engineer-II, he will monitor all works for timely execution without financial over run. He is authority to accord technical sanction of all works to be undertaken under him. He is also the technical head of all works undertaken.
8.	Pay & Allowances	:	The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	:	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognized research institutions: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years regular service in the grade; or

		<p>(iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years regular service in the grade; and</p> <p>(B) possessing the following educational qualifications and experience-</p> <p>(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and</p> <p>(ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration.</p> <p>Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.</p>
10.	Age	The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

Details of eligibility criteria for the post of Secretary are mentioned below-

Post-5: SECRETARY

Applications are invited for filling up the 01 (one) post of Secretary in the Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-) by deputation (including short-term contract) in the Brahmaputra Board, Guwahati a statutory body setup under an Act of Parliament (46 of 1980) under the administrative control of the Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti.

2. BRIEF JOB RESPONSIBILITIES:

The Secretary shall be under the administrative control of the Board. He shall fix the meetings of the Board under the orders of Chairman and issue notices for the Board meetings. He shall prepare List of Business to be transacted at the meetings with explanatory notes on each item and circulate it to other members. He shall prepare the minutes of the proceedings of every meeting. After approval of the minutes by the Chairman, the Secretary shall communicate the decisions to the members of the Board and other authorities. Secretary shall place the Budget proposals prepared by the General Manager in consultation with the Financial Adviser before the Board for its approval.

3. ELIGIBILITY CRITERIA:

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions:

(A) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or

(iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in the grade; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-

(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent ; and

(ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration, or

(B) (i) All India Service officers holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration; or

(ii) All India Service officers holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration.

Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible

for consideration for appointment by promotion.

4. PERIOD OF DEPUTATION:

The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

5. AGE:

The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

6. The cut-off date for determining the qualifying service/experience and age of the candidate for the post will be the last date of receipt of application.

7. Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.

8. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).

9. Applications with full particulars of the applicant in **Annexure-6** should reach to Shri Anil Kumar Sharma, Under Secretary, Department of Water Resources, RD & GR, 6th Floor, Room No.633, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 **within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. All applications will be treated in strict confidence. Those from Government and Public Sector should apply “Through Proper Channel.” Applications without full details as asked for are liable to be rejected.

10. Applications of only such officers/candidates will be considered as are routed through proper channel and are accompanied with (i) Bio-data (in quadruplicate) in the Proforma (ii) Photocopies of ACRs/APARs for the last five years duly attested by an officer not below the rank of Under Secretary (iii) Vigilance clearance (iv) Statement giving details of major or minor penalties imposed on the officer, if any, during the last ten years (v) Integrity Certificate and (vi) Cadre Clearance. All the requisite information/documents should be as per the proforma in **Annexure-6**.

1.	Name of Post	:	Secretary, Brahmaputra Board, a statutory
----	--------------	---	---

		body
2.	Number of Posts	: 01 (one)
3.	Classification	: Group 'A', Non-Ministerial
4.	Pay Band	: Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-)
5.	Grade Pay	: Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 – 2,16,600/-)
6.	Period of deputation	: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
7.	Duties and responsibilities of the post	: The Secretary shall be under the administrative control of the Board. He shall fix the meetings of the Board under the orders of Chairman and issue notices for the Board meetings. He shall prepare List of Business to be transacted at the meetings with explanatory notes on each item and circulate it to other members. He shall prepare the minutes of the proceedings of every meeting. After approval of the minutes by the Chairman, the Secretary shall communicate the decisions to the members of the Board and other authorities. Secretary shall place the Budget proposals prepared by the General Manager in consultation with the Financial Adviser before the Board for its approval.
8.	Pay & Allowances	: The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the deputation post in terms of Department of Personnel & Training O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II), dated 17.06.2010 (as amended from time to time).
9.	Qualifications, Experiences and Eligibility required for the post	: Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions:

		<p>(A) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in the grade; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent ; and (ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration, or (B) (i) All India Service officers holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration; or (ii) All India Service officers holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration.</p> <p>Note- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Any officer once selected shall not be allowed to withdraw or refuse to join; and it shall be the responsibility of the sponsoring authority to release the selected officers within one month of the issue of the appointment order.</p>
10.	Age	The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.

Bio Data Proforma

1. Name and address (in Block Letters) :

Telephone Number :

2. Date of Birth (in Christian era) :

3. Date of retirement under Central Government Rules:

4. Educational Qualifications:

5. Whether educational and other qualifications required for the posts are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to those prescribed in the rules, state the authority for the same)

Qualifications / Experience Required	Qualifications / Experience possessed by the Officer
Essential	
Desirable	

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post.

7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office/Institution/organisation	Post held and service / cadre to which it belongs	From	To	Pay in the pay band and classification of post	Nature of duties

8. Nature of present employment, i.e.,

- i. Ad-hoc basis
- ii. Regular / on temporary basis
- iii. Pay in the Pay Band
- iv. Grade Pay drawn

9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state:

- a. The date of initial appointment
 - b. Period of appointment on deputation/contract
 - c. Name of the parent office/organisation to which you belong
10. Additional details about present employment. Please state whether working under:
- a. Central Government
 - b. State Government
 - c. Autonomous organisation
 - d. Government Undertaking
 - e. Universities
11. Are you in the Revised Pay Structure? If yes, give the Date from which the revision took place and also Indicate the pre-revised scale
12. Total emoluments per month now drawn:
13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.
14. Whether belonging to SC/ST
15. Remarks

Signature of the candidate

Date :

It is certified that information furnished by the applicant is verified with his / her service record and found correct.

Countersigned with office seal by the authorized signatory of the parent office

Signature of the Competent Authority

VIGILANCE CLEARANCE CERTIFICATE

Certified that no vigilance case or disciplinary proceedings or criminal proceedings is either pending or contemplated against Dr./Shri/Smt./Ms....., who has applied for the post of _____ in the _____ on deputation basis.

(Authorised signatory)
Name & Office Seal :
Date:

NO PENALTY CERTIFICATE

Certified that no minor/major penalty has been imposed during the last ten years on Dr./Shri/Smt./Ms....., who has applied for the post of _____ in the _____ on deputation basis.

(Authorised signatory)
Name & Office Seal :
Date:

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Report of Dr./Shri/Smt./Ms....., who has applied for the post of _____ in the _____ on deputation basis, it is certified that his/her integrity is beyond doubt.

(To be signed by an officer of the rank of Deputy Secretary or above)
Name & Office Seal :
Date:



सं. ए 12034/11/2021-ई-III

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 03rd अप्रैल, 2023

परिपत्र

विषय:- ब्रह्मपुत्र बोर्ड में 05 (पांच) सांविधिक पदों के रिक्ति परिपत्र से संबंधित;

जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग) इस विभाग के आधीन ब्रह्मपुत्र गुवाहटी, एक सांविधिक निकाय, में तत्काल आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है:

क्र. स.	पद का नाम	7वें वेतन आयोग के अतर्गत वेतन स्तर	पद
1.	वित्तीय सलाहकार	स्तर- 14 (रुपए 144200-218200/-)	1
2.	महाप्रबंधक	स्तर- 14 (रुपए 144200-218200/-)	1
3.	मुख्य अभियंता (Level-I)	स्तर- 14 (रुपए 144200-218200/-)	1
4.	मुख्य अभियंता (Level-II)	स्तर- 13 ए (रुपए 131100-216600/-)	1
5.	सचिव	स्तर- 13 ए (रुपए 131100-216600/-)	1

- इस परिपत्र के अनुलग्नक 1 से 6 में इन पदों के विवरण सहित प्रत्येक पद की योग्यता का मापदंड दिया गया है।
- सेवारत केन्द्र सरकार कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के संबंध में दिए जाने वाले लाभ समय – समय पर यथासंशोधित व्यय विभाग के दिनांक 22.9.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11 (2)/97-ई.II (बी), दिनांक 2.4.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11 (6)/2008-ई.II (बी) और दिनांक 14.8.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28(1)/2017-ई.II (बी) के अंतर्गत प्रदान किए जायेंगे।
- इस विभाग के केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह-ए) संवर्ग में आने वाला आवेदनकर्ताओं के संबंध में ब्रह्मपुत्र बोर्ड में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति की अवधि को उसी सेवा में एसएजी में उनकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए “फील्ड अनुभव” माना जायेगा।
- सभी संगठनों से उनके कार्यालयों में इस परिपत्र के व्यापक प्रचार करने और उपर्युक्त पदों की नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए योग्यता प्राप्त और इच्छुक अधिकारियों को नामांकित करने का अनुरोध किया जाता है। इस परिपत्र के रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर, आवेदन, कमरा नं. 633, छठा तल, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

(अनिल कुमार शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

- भारत सरकार सभी मंत्रालयों/ के विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन)
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्राशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठन प्रमुख

वित्तीय सलाहकार के पद के लिए योग्यता मानदंड का विवरण निम्नवत है-

पद-1 वित्तीय सलाहकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संसद के अधिनियम (1980 का 46) के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निकाय ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-) रूप में वित्तीय सलाहकार का (01) एक पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य के संक्षिप्त दायित्व

वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में निर्धारित ऐसी शक्तियों और दायित्वों का भी निर्वहन करेगा।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित):

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा सेवा लेखा अथवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त और लेखा सेवा) अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी-

(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600/-) रूप अथवा लेवल-13 (1,18,500-2,14,100/-) रूप या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर दो या तीन वर्ष की सेवा की हो;

(iii) अहर्क चार्टर एकाउन्टेंट अथवा कोस्ट एकाउन्टेंट अथवा एमबीए के साथ केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा सांविधिक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत स्वायत्त संगठन में कॉर्पोरेट लेखों और कॉर्पोरेट वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ वित्त में विशेषज्ञता हो।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) सहित 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु- प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।

8. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-ii) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत करवाने का विकल्प होगा।

9. **अनुलग्नक-6** में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन के रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से **45 दिन के अंदर** श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, छठा तल, कमरा संख्या 633, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाना चाहिए। सभी आवेदकों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण ब्यौरे से रहित आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

10. सिर्फ ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) दिए गए प्रपत्र में जीवन वृत्त (चार प्रति) (ii) कम से कम अवर सचिव श्रेणी के अधिकारी से सत्यापित विगत पाँच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान, अधिकारी पर लगाई गई, यदि कोई हो, बड़ी या छोटी शास्ति का ब्यौरा और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज **अनुलग्नक-6** में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1	पद का नाम	वित्त सलाहकार, ब्रह्मपुर बोर्ड
2	पदों की संख्या	01 (एक)
3	वर्गीकरण	समूह 'क' अनुसचिवीय
4	वेतन बैंड/ ग्रेड वेतन	लेवल-14 (1,44,200-2,18,100/-)
5	ग्रेड वेतन	
6	प्रतिनियुक्ति की अवधि	प्रतिनियुक्ति की अवधि (लघु अवधि संविदा सहित) केन्द्र सरकार के सदृश अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7	पद के कर्तव्य एवं दायित्व	वित्त सलाहकार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा। वह राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को सलाह देगा। उसके पास किसी भी मामले को जिसे वह बोर्ड के ध्यान में लाना अपेक्षित समझे, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। बोर्ड के लेखों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसकी होगी और वह इन लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा। वह ब्रह्मपुर बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत अधीनस्थ विधान के नियम 16 में निर्धारित ऐसी शक्तियों और कार्यों को भी करेगा।
8	वेतन एवं भत्ते	चयनित अधिकारी को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-11) {समय-समय पर यथा-संशोधित} की शर्तों के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन नियत कराने का विकल्प होगा।
9	पद के लिए आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और पात्रता	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अथवा भारतीय रक्षा सेवा लेखा अथवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा अथवा भारतीय डाक और तार (वित्त और लेखा सेवा) अथवा भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऐसे अधिकारी- (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600) अथवा लेवल-13 (1,18,500-2,14,100) रुपये अथवा समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर क्रमशः दो या तीन वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (iii) अहर्क चार्टर एकाउन्टेन्ट अथवा कोस्ट एकाउन्टेन्ट अथवा एमबीए के साथ केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा सांविधिक अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के तहत स्वायत्त संगठन में कॉर्पोरेट लेखों और कॉर्पोरेट वित्त मामलों के कार्य में कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ वित्त में विशेषज्ञता हो। किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा सेवाग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त कर दे।
10	आयु	प्रतिनियुक्ति या अल्प अवधि संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

महाप्रबंधक के पद के लिए योग्यता मानदंड का विवरण निम्नवत है-

पद-2: महाप्रबंधक

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14, (1,44,200 रूपए -2,18,200/-रूपए) में महाप्रबंधक के 01 (एक) पद को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्वों का संक्षिप्त विवरण

महाप्रबंधक, बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों के समुचित संचालन में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्वों को निर्धारित करेगा और इन दायित्वों को उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षणी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों में तालमेल करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का उपयोग और दायित्वों का निर्वहन भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जा सकती हों या जो विनियमों द्वारा निर्धारित की गई हों। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन या अनुदानों के पुनर्विनियोजन संबंधी मामलों में ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेगा।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या राज्य विद्युत बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो:

- 7. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या
- (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13ए के ग्रेड (1,31,100 रूपए -2,16,600/-रूपए) में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित अपर मुख्य अभियंता या मुख्य अभियंता के पद पर हों; या
- (iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 के ग्रेड (1,23,100 रूपए -2,15,900/-रूपए) में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित उप- मुख्य अभियंता के पद पर हों; या
- (iv) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 के ग्रेड (78,800 रूपए -2,09,200/-रूपए) में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित अधीक्षण अभियंता के पद पर हों; और

7. निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:

- i. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और
- ii. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 15 वर्ष का अनुभव।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार के सदृश या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु- प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी के चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्य भार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना

(वेतन-III) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रातिनयुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहारित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

9. **अनुलग्नक-6** में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से **45 दिन के अंदर** श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, छठा तल, कमरा सं. 633, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को "उचित माध्यम से" आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रद्द किया जा सकता है।

10. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) प्रपत्र में जीवन वृत्त (चार प्रतियों में) (ii) ऐसे अधिकारी जो अवर सचिव के पद से कम न हो उससे सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) प्रपत्र में सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारी पर लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो, और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सारी अपेक्षित जानकारी/ दस्तावेज **अनुलग्नक-6** में दिए गए प्रपत्र के अनुरूप होना चाहिए।

1.	पद का नाम	: महाप्रबंधक, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	: 01 (एक)
3.	वर्गीकरण	: समूह 'क', अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड	: वेतन मैट्रिक्स का लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/-रूपए)
5.	ग्रेड वेतन	: वेतन मैट्रिक्स का लेवल-14 में (1,44,200-2,18,200/-रूपए)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार के सदृश या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अनुरूप बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के दायित्व एवं जिम्मेदारी	: महाप्रबंधक, बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों के समुचित संचालन में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड के अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्वों को निर्धारित करेगा और इन दायित्वों को उन्हें सौंपेगा तथा यथावश्यक पर्यवेक्षणी और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेगा और बोर्ड के अंतर्गत विविध इकाइयों के कार्यकलापों में तालमेल करेगा। महाप्रबंधक, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वहन भी करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जा सकती हों या जो विनियमों द्वारा निर्धारित की गई हों। महाप्रबंधक, बजट और आबंटन या अनुदानों के पुनर्विनियोजन संबंधी मामलों में ब्रह्मपुत्र बोर्ड नियमावली, 1981 के नियम 16 में यथा निर्धारित शक्तियों और दायित्वों का निर्वहन करेगा।
8.	वेतन एवं भत्ते	: चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहारित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
9.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और पात्रता	: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो: 12. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13ए के ग्रेड (1,31,100 रूपए - 2,16,600/-रूपए) में दो वर्षों की नियमित सेवा सहित अपर मुख्य अभियंता या मुख्य अभियंता के पद पर हों; या

		<p>(iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 के ग्रेड (1,23,100 रूपए - 2,15,900/-रूपए) में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित उप-मुख्य अभियंता के पद पर हों; या</p> <p>(iv) वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 के ग्रेड (78,800 रूपए - 2,09,200/-रूपए) में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित अधीक्षण अभियंता के पद पर हों; और</p> <p>7. निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:</p> <p>i. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और</p> <p>ii. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 15 वर्ष का अनुभव।</p> <p>किसी भी अधिकारी के चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।</p>
10.	आयु	: प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

मुख्य अभियंता-1 के पद के लिए पात्रता मानदंड का विवरण नीचे उल्लिखित है-

पद-3: मुख्य अभियंता (Level-I)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 (1,44,200 रूपए -2,18,200/-रूपए) में मुख्य अभियंता (स्तर-I) के 01 (एक) पद को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्व का संक्षिप्त विवरण:

ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुख्य अभियंता (स्तर-I) पूर्वोक्त क्षेत्र में नदी बेसिनों की मास्टर योजना को तैयार करने; विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की डिजाइन और आयोजना बनाने; मास्टर योजना में चिह्नित ड्रेनेज विकास योजनाओं की डीपीआर तैयार करने और नदी घाटी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का उत्तरदायित्व होगा।

3. पात्रता मानदंड:

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्डों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सांविधिक संगठन या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) लेवल-13 ए में समकक्ष पद पर दो वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (1,31,100 – 2,16,600/- रूपए) में अतिरिक्त मुख्य अभियंता या मुख्य अभियंता का पद धारण किए हुए हों; या

(iii) लेवल-13 में समकक्ष पद पर तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (1,23,100 – 2,15,900/- रूपए) में उप मुख्य अभियंता का पद धारण किए हुए हों; या

(iv) लेवल-12 में समकक्ष पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (78,800 रूपए – 2,09,200/- रूपए) में अधीक्षण अभियंता का पद धारण किए हुए हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, नामतः

i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और

ii. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 15 वर्षों का अनुभव।

टिप्पणी 1: फीडर ग्रेड में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की डायरेक्ट लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि:

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु: प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की अर्हक सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्य भार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

9. **अनुलग्नक-6** में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से **45 दिन के अंदर** के अंदर श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, छठा तल, कमरा सं. 633, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को “उचित माध्यम से” आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रद्द किया जा सकता है।

10. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) प्रपत्र में जीवन वृत्त (चार प्रतियों में) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपियां (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो, और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो सभी अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों को **अनुलग्नक-6** में दिए प्रपत्र के अनुसार होना चाहिए।

1.	पद का नाम	: मुख्य अभियंता (स्तर-I), ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	: 01 (एक)
3.	वर्गीकरण	: समूह 'क', अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड	: वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200 रूपए -2,18,200/-रूपए)
5.	ग्रेड वेतन	: वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (1,44,200 रूपए -2,18,200/-रूपए)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के दायित्व एवं जिम्मेदारी	: ब्रह्मपुत्र बोर्ड का मुख्य अभियंता (स्तर-I) पूर्वोत्तर क्षेत्र में नदी बेसिनों की मास्टर योजना को तैयार करने; विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं की डिजाइन और आयोजना बनाने; मास्टर योजना में चिह्नित डेनेज विकास योजनाएं की डीपीआर तैयार करने और नदी घाटी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का उत्तरदायित्व होगा।
8.	वेतन एवं भत्ते	: चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 17.06.2010 के (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
9.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और पात्रता	: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्डों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: 12. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) लेवल-13 ए में समकक्ष पद पर दो वर्षों के नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में (1,31,100 – 2,16,600/- रूपए) में पद धारण किए हुए हों; या (iii) लेवल-12 में समकक्ष पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में (1,23,100 – 2,15,900/- रूपए) में पद धारण किए हुए हों; या (iv) लेवल-12 में समकक्ष पद पर 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में (78,800 – 2,09,200/- रूपए) में पद धारण किए हुए हों; और 7. निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, नामतः i. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और ii. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 15 वर्षों का अनुभव।

		<p>नियुक्तियों 1: फोडर ग्रेड में ऐसे विभागीय अधिकारियों को प्रोन्नति को डायरेक्ट लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे।</p> <p>किसी भी अधिकारी को चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।</p>
10.	आयु	: प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

मुख्य अभियंता-11 के पद के लिए पात्रता मानदंड का विवरण नीचे उल्लिखित है-

पद-4: मुख्य अभियंता (Level-II)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13ए, (1,31,100 रूपए -2,16,600/-रूपए) में मुख्य अभियंता (स्तर-II) के 01 (एक) पद को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्व का संक्षिप्त विवरण:

मुख्य अभियंता-II ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख घटकों में से एक है जो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक के अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी फील्ड सर्कल्स/डिवीजनों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना/कार्यों का कार्यान्वयन/निष्पादन करना है। इसके प्रमुख कार्यों में निकासी विकास योजनाओं कटावरोधी योजनाओं का कार्यान्वयन प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाना परिसंपत्तियों को कार्य रखना और उनका अनुरक्षण इत्यादि करना शामिल है। मुख्य अभियंता-11 के रूप में वह सभी कार्यों में बिना किसी आर्थिक हानि के समय से कार्यों के निष्पादन हेतु निगरानी करेंगे। वह अपने द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत होंगे। शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए वह तकनीकी प्रमुख होंगे।

3. पात्रता मानदंड:

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्डों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो:

- 7. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या
- (ii) ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (1,23,100-2,15,900/- रूपए) में पद धारण किए हुए हों; या
- (iii) ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200/- रूपए) में पद धारण किए हुए हों; और

7. निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों:

- i. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और
- ii. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्षों का अनुभव।

टिप्पणी: फीडर ग्रेड में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि:

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु:

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की अर्हक सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्य भार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश

जारी किए जाने के एक माह के अंदर कायमकृत करे।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

9. **अनुलग्नक-6** में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से **45 दिन के अंदर** श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, छठा तल, कमरा सं. 625, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को “उचित माध्यम से” आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गए संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रद्द किया जा सकता है।

10. केवल ऐसे अधिकारियों/अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) प्रपत्र में जीवन वृत्त (चार प्रतियों में) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्तियों का ब्यौरा, यदि कोई हो, और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों को **अनुलग्नक-6** में दिए प्रपत्र के अनुसार होना चाहिए।

1.	पद का नाम	: मुख्य अभियंता (स्तर-II), ब्रह्मपुत्र बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	: 01 (एक)
3.	वर्गीकरण	: समूह 'क', अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड	: वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए, (1,31,100 रूपए -2,16,600/-रूपए)
5.	ग्रेड वेतन	: वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13ए, (1,31,100 रूपए -2,16,600/-रूपए)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन सविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन सविदा सहित) 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के दायित्व एवं जिम्मेदारी	: मुख्य अभियंता (स्तर-II) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के प्रमुख घटकों में से एक है जो महाप्रबंधक, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी के अधीनस्थ के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी फील्ड सर्कल्स/डिवीजनों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना/कार्यों का कार्यान्वयन/निष्पादन करना है। इसके प्रमुख कार्यों में डूनेज विकास योजनाए कटावरोधी योजनाओं का कार्यान्वयन प्लेटफार्म को ऊंचा करना परिसंपत्तियों को कार्य में लगाए रखना और उनका अनुरक्षण इत्यादि करना शामिल है। मुख्य अभियंता-II के रूप में वह सभी कार्यों में बिना किसी आर्थिक हानि के समय से कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेंगे। वह अपने द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत होंगे। वह शुरू किए गए सभी कार्यों के लिए वह तकनीकी प्रमुख होंगे।
8.	वेतन एवं भत्ते	: चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
9.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता अनुभव और पात्रता	: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन सविदा सहित): केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्डों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी, जो: 12. (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या (ii) ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (1,23,100-2,15,900/- रूपए) में पद धारण किए हुए हों; या (iii) ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200/- रूपए) में पद धारण किए हुए

		<p>हो; और</p> <p>7. निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:</p> <p>i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और</p> <p>ii. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्षों का अनुभव।</p> <p>टिप्पणी: फीडर ग्रेड में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे।</p> <p>किसी भी अधिकारी को चयन के पश्चात आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।</p>
10.	आयु	: प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सचिव के पद के लिए पात्रता मानदंड का विवरण नीचे दिया गया है-

पद- 5: सचिव

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, संसद के अधिनियम (1980 का 46) के तहत स्थापित सांविधिक निकाय-ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 ए (1,31,100 – 2,16,600/-रूपए) में सचिव के 01 (एक) पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

2. कार्य दायित्वों का संक्षिप्त विवरण:

सचिव, बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा। वह अध्यक्ष के आदेशों के तहत बोर्ड की बैठकें निर्धारित करेगा और बोर्ड की बैठकों की सूचना जारी करेगा। वह बैठकों की कार्य सूची और प्रत्येक के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां तैयार करेगा और इसे अन्य सदस्यों को परिचालित करेगा। वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगा। सचिव, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त के निर्णयों की सूचना बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य प्राधिकरणों को भेजेगा। सचिव, बोर्ड के समक्ष महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से तैयार बजट प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

3. पात्रता मानदंड

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित): केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:

(क) (क)(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (1,23,100 – 2,15,900/- रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; अथवा

(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 के ग्रेड (78,800 – 2,09,200/- रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:-

i. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और

ii. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्षों का अनुभव अथवा

(ख) (i) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 – 2,15,900/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो; अथवा

(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (78,800 – 2,09,200/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

टिप्पणी: - फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि:

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) केन्द्र सरकार या इसके समतुल्य किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सहित पांच (05) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. आयु:

प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालीन संविदा सहित) नियुक्ति किए जाने की अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. इस पद के लिए अभ्यर्थी की पात्र सेवा/अनुभव और आयु निर्धारण की अंतिम तारीख आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख होगी।

7. किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की

अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण को जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।

8. चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

9. **अनुलग्नक-6** में आवेदक के संपूर्ण विवरण के साथ आवेदन, यह परिपत्र जारी होने अथवा रोजगार समाचार में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से **45 दिन के अंदर** के अंदर श्री अनिल कुमार शर्मा, अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, छठा तल, कमरा सं. 625, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को पहुंच जाने चाहिए। सभी आवेदनों की जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के आवेदकों को “उचित माध्यम से” आवेदन करना चाहिए। विज्ञापन में मांगे गई संपूर्ण विवरण से रहित आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

10. मात्र ऐसे अधिकारी/अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा, जो उचित माध्यम से भेजे गए हैं और जिनके साथ (i) प्रपत्र में दिए गए प्रपत्र में जीवन-वृत्त (चार प्रति) (ii) अवर सचिव अथवा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी से सत्यापित विगत पांच वर्ष की एसीआर/एपीएआर की प्रतिलिपि (iii) सतर्कता स्वीकृति (iv) प्रपत्र के अनुसार पिछले दस वर्षों के दौरान लगाई गई, बड़ी या छोटी शास्ति, यदि कोई हो, का विवरण और (v) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र तथा (vi) संवर्ग स्वीकृति संलग्न हो। सभी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज **अनुलग्नक-6** में दिए गए प्रारूप के अनुसार होने चाहिए।

1.	पद का नाम	: सचिव, ब्रह्मपुर बोर्ड, सांविधिक निकाय
2.	पदों की संख्या	: 01 (एक)
3.	वर्गीकरण	: समूह 'ए' अनुसचिवीय
4.	वेतन बैंड	: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 ए (1,31,100 – 2,16,600/- रू.)
5.	ग्रेड वेतन	: वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13 ए (1,31,100 – 2,16,600/- रू.)
6.	प्रतिनियुक्ति की अवधि	: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा सहित) सामान्यतया केन्द्र सरकारके विभागों के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालीन संविदा समेत) सहित, 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7.	पद के कर्तव्य एवं जिम्मेदारी	: सचिव, बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणा के अधीन रहेगा। वह अध्यक्ष के आदेशों के तहत बोर्ड की बैठकें निर्धारित करेगा और बोर्ड की बैठकों की सूचना जारी करेगा। वह बैठकों की कार्य सूची और प्रत्येक के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां तैयार करेगा और इसे अन्य सदस्यों को परिचालित करेगा। वह प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगा। सचिव, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त के निर्णयों की सूचना बोर्ड के सदस्यों तथा अन्य प्राधिकरणों को भेजेगा। सचिव, बोर्ड के समक्ष महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सलाहकार के परामर्श से तैयार बजट प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
8.	वेतन एवं भत्ते	: चयनित अधिकारी के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपना ग्रेड वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।
9.	पद के लिए अपेक्षित योग्यता, अनुभव और पात्रता	: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित):केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी: (क) (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; अथवा

		<p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 – 2,15,900/- रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ पद पर हों; अथवा</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 के ग्रेड (78,800 – 2,09,200/- रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा के पद पर हों; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो:—</p> <p>I. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और</p> <p>II. जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और सामान्य प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 12 वर्षों का अनुभव अथवा</p> <p>(ख) (i) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 (1,23,100 – 2,15,900/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित दो वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो; अथवा</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 (78,800 – 2,09,200/- रु.) में केंद्र सरकार या राज्य सरकार में पदधारित छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जिन्हें 12 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।</p> <p>टिप्पणी: - फीडर ग्रेड में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>किसी भी अधिकारी को चयनित होने के बाद आवेदन वापस लेने अथवा कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने की अनुमति नहीं होगी; और यह प्रायोजित प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह चयनित अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त करे।</p>
10.	आयु	: प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालीन संविदा सहित द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

जीवन-वृत्त प्रपत्र

1. नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)
टेलीफोन नंबर :
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):
3. केन्द्र सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख:
4. शैक्षिक योग्यताएं:
 5. क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं रखते हैं (यदि किसी योग्यता को नियमों में निर्धारित किसी योग्यता के समतुल्य माना गया है तो इसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)।

अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव	अधिकारियों की योग्यताएं/ अनुभव
अनिवार्य	
वांछित	

6. कृपया स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टियों के संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि क्या आप पद की अपेक्षाएं पूरी करते हैं।
7. कालक्रमानुसार रोजगार के ब्यौरे (यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हैं तो अपने हस्ताक्षर द्वारा भली-भांति अधिप्रमाणित अलग से एक शीट संलग्न करें)।

कार्यालय/संस्था/संगठन	धारित पद और सेवा/ कैडर जिससे यह संबंधित है	कब से	कब तक	वेतन बैंड में वेतन और पद का वर्गीकरण	दायित्वो का स्वरूप

8. वर्तमान नियुक्ति का स्वरूप अर्थात्,
 - (i) तदर्थ
 - (ii) स्थाई/अस्थायी आधार पर
 - (iii) वेतन बैंड में वेतन
 - (iv) आहरित ग्रेड वेतन
9. वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर धारित होने के मामले में कृपया उल्लेख करें
 - (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
 - (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि
 - (ग) आपके मूल कार्यालय/संगठन का नाम
10. वर्तमान रोजगार के विषय में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं :
 - (क) केन्द्र सरकार
 - (ख) राज्य सरकार
 - (ग) स्वायत्त संगठन
 - (घ) सरकारी उपक्रम
 - (ङ) विश्वविद्यालय
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो संशोधन की तारीख बताएं तथा संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें
12. वर्तमान में आहरित कुल मासिक परिलब्धियां:
 13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेखित करना चाहते हैं। यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से शीट संलग्न करें।
14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं
15. अभ्युक्तिया

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई सूचना उसके सेवा रिकार्ड से सत्यापित कर ली गई है और सही पायी गयी है।

मूल कार्यालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रति हस्ताक्षर मोहर सहित

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने -----
---- में प्रतिनियुक्ति आधार पर ----- के पद के लिए आवेदन किया है, के विरुद्ध न तो कोई सतर्कता निकासी अथवा
अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक कार्रवाई लंबित है और न ही शुरू किए जाने का विचार है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक : -

शास्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने -----
-- में प्रतिनियुक्ति के आधार पर ----- के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ी/छोटी शास्ति
नहीं लगायी गयी है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम और कार्यालय की मोहर
दिनांक : -

सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र

डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जिन्होंने -----में प्रतिनियुक्ति के आधार पर --
----- के पद के लिए आवेदन किया है, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद यह प्रमाणित किया
जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा में कोई संदेह नहीं है।

(उपसचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के
अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)
नाम और कार्यालय की मोहर:
दिनांक :